यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला क्रीडा अ धकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला क्रीडा अ धकारी पौड़ी गढ़वाल के माह 05/2016 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुन्ना राम लेखापरीक्षक तथा श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 05.02.2018 से 08.02.2018 तक सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री.संतोष कुमार गुप्ता एवं श्री भानु प्रताप संह सहा. लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 03.05.2016 से 06.05.2016 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2013 से 04/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी

(ii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- जिला खेल कार्यालय पौड़ी गढ़वाल जनपद पौड़ी में 17 खेलो में बालक/बा लकाओं को प्र शक्षण प्रदान कया जा रहा है तथा जिला स्तरीय प्रतियो गताओं एवं क्रीडा प्रतिष्ठानों का निर्माण भी कराया जाता है | बालक बैड मन्टन एवं बालक बाक्सिंग का आवासीय क्रीडा छात्रावास संचा लत कया जा रहा है

इकाई को बजट आंवाटन- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है |

(अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(धनरा श रु. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)` (लाख में)	बचत (-) ` (लाख में)
	स्थापना ` (लाख में)	गैर स्थापना `(लाख में)	आवंटन ` (लाख में)	व्यय ` (लाख में)	आवंटन ` (लाख में)	व्यय ` (लाख में)		
2015-16	_	_	45.75	31.87	100.00	99.95	_	13.93
2016-17	_	_	40.47	35.30	65.73	65.70	_	5.20
2017-18(01/2018	_	_	40.33	36.51	73.00	48.76	_	28.06

- अवशेष धनरा श वर्षांत में शासन को सम र्पत कर दी जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(धनरा श लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	शून्य				
2015-16					
2016-17(दिसंबर तक)					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई स श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव खेल
2. अपर स चव खेल
3. निदेशक खेल
4. अपर निदेशक खेल
5. संयुक्त निदेशक खेल
6. उप निदेशक खेल
7. सहायक निदेशक खेल

1- जनपद स्तर

1-जिला क्रीड़ा अ धकारी

2- उप क्रीडा धकारी

3-प्रधान सहयक

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला क्रीड़ा अ धकारी पौड़ी गढ़वाल को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2017 व 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

a. लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो ब

प्रस्तर : **1** : शासनादेशों क अवहेलना कर बिना एमओयू कए ही रुपये 499.42 लाख का निर्माण कार्य कराया जाना।

वत्त वभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/ 2008 दिनांक 15-12-2008 के अनुसार एमओयू हस्ताक्षरित कर समयसारिणी के अनुरूप समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए एवं निर्माण कार्य का गहन अनुरक्षण भी सुनिश्चित कया जाए।

शासनादेश संख्या 96/VI-II/ 2013-29(3)2010 दिनांक 11 फरवरी 2013 द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत रांसी स्टे डयम के निर्माण हेतु ₹499.42 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी साथ ही उक्त कार्य हेतु ₹80.00 लाख की धनरा श प्रथम कश्त के रूप में स्वीकृत की गयी। इस कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नियुक्त कया गया। उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को वर्ष 2013-14 में ₹80.00 लाख वर्ष 2014-15 में ₹323.80 लाख एवं वर्ष 2015-16 में ₹95.62 लाख हस्तगत कए गए। इस प्रकार उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को शत प्रतिशत स्वीकृत लागत की धनरा श हस्तगत कर दी गयी।

कार्यदायी संस्था की माह अप्रैल 2017 की मा सक प्रगति आख्या के अनुसार कार्य की प्रगति 98% दर्शाई गयी एवं स्वीकृति लागत के सापेक्ष ₹489.96 व्यय दर्शाया गया जो क स्वीकृत लागत का 81% था। उक्त निर्माण कार्य माह 06/2013 को प्रारम्भ कया गया था जिसके पूर्ण होने की संभा वत ति थ कार्यदायी संस्था द्वारा बार बार बढ़ाई जाती रही।

शासन द्वारा कार्यदायी संस्था को आवंटित करने व वत्तीय स्वीकृति के आदेश में स्पष्ट रूप से वभाग/ इकाई को निर्दे शत कया गया था क वत्त वभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/ 2008 दिनांक 15-12-2008 के अनुसार एमओयू हस्ताक्षरित कर समयसारिणी के अनुरूप समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए एवं निर्माण कार्य का गहन अनुरक्षण भी सुनिश्चित कया जाए।

लेखा परीक्षा द्वारा पत्रावली की जांच में वभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू नहीं पाया गया। इस प्रकार एमओयू न कए जाने से कार्य को पूर्ण कए जाने व समय बद्धता हेतु कसी प्रकार से दबाव नहीं बन पाया। परिणाम स्वरूप कार्य अप्रैल 2017 तक अपूर्ण था जो क अब बंद पड़ा है एवं कार्य अद्यतन अपूर्ण है।

कार्य के समबन्ध में व भन्न उच्चा धकारियों द्वारा समय समय पर कए गए निरक्षण में अपनी आख्या में कार्य को अपूर्ण ही बताया गया एवं कए गए कार्य में व भन्न प्रकार की त्रुटियाँ भी इं गत की गईं।

लेखा परीक्षा द्वारा वत्त वभाग के शासनादेश के अनुपालन में कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू कए जाने के संबंध में पूंछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क कई बार पत्राचार कए जाने के बाद भी एमओयू नही कया जा सका। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है क इकाई द्वारा वत्त वभाग के शासनादेश का उल्लंघन कया गया जिससे कार्य समाप्ति की अंतिम ति थ का निर्धारण भी नही कया जा सका और कार्य अद्यतन अपूर्ण था।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1:- वत्तीय नियमों की अवहेलना कर निष्प्रयोज्य सामग्री घो षत न कया जाना एवं नीलामी न कया जाना

सामान्य वत्तीय नियम 192 के अनुसार वर्ष मे कम से कम एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए,एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथा शीघ्र नीलामी की जानी चाहिए, ता क उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके | इकाई की भंडार पंजिका की जांच मे पाया गया की वर्ष 2015-16 मे भंडार का भौतिक सत्यापन कया गया था, आगे, अ भलेखों की जांच मे पाया गया की 2015-16 के पश्चात अब तक भंडार का भौतिक सत्यापन नही कया गया फलस्वरूप निष्प्रयोज्य सामग्री की घोषणा नहीं हो पाई एवं आतिथ नीलामी न कए जाने के कारण अप्रयुक्त सामग्री के मूल्य में निरंतर मूल्य ह्रास हो रहा था | जिसके कारण निष्प्रयोजी सामग्री की नीलामी से प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियों की हानि हो रही थी |

लेखापरीक्षा मे इं गत कए जाने पर जिला क्रीड़ा अ धकारी ने उत्तर दिया की नीलामी हेतु स मति का गठन कर अति शीघ्र नीलामी की कार्यवाही क जाएगी | उत्तर स्वीकार्य नही है क्यों क सामग्री के निष्प्रयोज्य घो षत होने एवं नीलामी हेतु कोई कार्यवाही नही क गयी |

अत: प्रकरण उच्च अ धकारी के संज्ञान मे लाया जाता है |

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग दो ब प्रस्तर	**STAN**
62/2013-14	-	-	**1**
705/ 2016-17	-	2	-

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई ने अवगत कराया कि पुराने प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेशित कर दी जायेगी।				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

....Nil...

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला क्रीडा अ धकारी पौड़ी गढ़वाल तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) Nil

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

नाम	पदनाम	अव ध
डा धर्मेन्द्र भट्ट	सहा निदेशक	21/3/2013 से 19/8/2016 तक
श्री राजेश मामगाई	जिला.क्रीड़ा.अ ध.	19/8//2016 से 04/7/2017 तक
श्री एस के कार्की	जिला.क्रीड़ा.अ ध.	04/7/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला क्रीडा अ धकारी पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (सामाजिक क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.